राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141–2722520

क्रमांकः प.14(48)RSSB / अर्थना / रा.वि.वि.प्र. / कनि.वैज्ञा.सहा. / 2018 / 971 दिनांक 24/7/2019

संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक सीधी भर्ती परीक्षा–2019

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2019 दिनांक 17.01.2019 के अन्तर्गत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग, राजस्थान, जयपुर के लिये राज्य विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम–1980 के अन्तर्गत कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के विभिन्न खण्डों के कुल 28 पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये गये थे। अति पिछड़ा वर्ग को 05 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के कम में कार्मिक(क–2) विभाग के पत्र कमांक प.7(1) कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 23.06.2019 में दिये गये निर्देशों की पालना में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के विभिन्न खण्डों के पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) पुनः आमंत्रित किये जाते है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इस पद हेतु ऑनलाईन आवेदन कर दिया है, उन्हें दुबारा ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। पूर्व में विज्ञापित पदों के श्रेणीवार वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

1. जिन अभ्यर्थियों ने कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 01/2019 दिनांक 17.01.2019 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, वे अपने ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते है। यह संशोधन ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि के दौरान ही किया जा सकता है। इस अवधि में ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा निः शुल्क उपलब्ध होगी। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की प्रकिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
2. सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाईन आवेदन करने का अवसर दिया गया है जिसके लिये **पात्रता की शर्तो की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी** अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता शर्ते पूरी करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते है।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तो की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है तो भी उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा।

कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के विभिन्न खण्डों की भर्ती की शेष शर्ते यथा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, प्रवेश पत्र, आरक्षण संबंधी प्रावधान, वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु संबंधी प्रावधान, अंशदायी पेंशन, विवाह पंजीयन एवं नियुक्ति की अयोग्ताऐं इत्यादि पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 01/2019 दिनांक 17.01.2019 के अनुसार यथावत रहेगी। पूर्व विज्ञापन संख्या 01/2019 दिनांक 17.01.2019 के लिये बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधिः–

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **दिनांक 26.07.2019 से 24.08.2019** को मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 26.07.2019 से 24.08.2019** को मध्य रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

(डॉ. बी.एल.जाटावत)
अध्यक्ष